प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

5 days “Refresher Course for Police Inspectors”

दिनांक **14-06-2021 से 18-06-2021**

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 14-06-2021 से 18-06-2021 तक “Refresher Course for Police Inspectors” विषय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस हॉल नं. 04 में आयोजित किया गया। राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा, आईपीएस, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के निर्देशन में प्रबुद्व वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 26 पुलिस निरीक्षक ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन 10:00-10:30 AM तक पंजीकरण एवं कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स का परिचय करवाया गया। प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री आर. एस. बत्रा आरएएस (सेवानिवृत्त) ने भूमि और राजस्व विवादों से संबंधित अपराधों की जांच पर अपना व्याख्यान दिया। तृतीय सत्र में श्री अमरजीत मस्ताना, एडवोकेट, जयपुर ने न्यायालय में सबूत देने पर विस्तार से बताया।

द्वितीय दिन के प्रथम सत्र में डॉ. एम.के. देवराजन, डीजीपी (सेवानिवृत्त) ने हिरासत में हिंसा, क्या करें और क्या न करें , NHRC के दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तार से बताया। द्वितीय सत्र में श्री कैलाश चंद्र, डीआईजी, आरपीए ने संचार कौशल, सकारात्मक, दृष्टिकोण और टीम बिल्डिंग पर विस्तृत रूप से चर्चा की। तृतीय सत्र में श्री सुरेश कुमार, उप अधीक्षक पुलिस (आउटडोर) आरपीए ने पम्प एक्शन गन, चिली पाउडर का उपयोग, कानून व्यवस्था की स्थितियों में हेलमेट का उपयोग, हेलमेट कैमरे का डेमो आदि पर अपना व्याख्यान दिया।

तृतीय दिन के प्रथम सत्र में श्री धन्ना राम, एडीजे (सेवानिवृत्त) ने पोक्सो अधिनियम और जांच पर अपना व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र में श्री हेमंत नाहटा, अधिवक्ता, ने पुलिस व्यवहार - उम्मीद और वास्तविकताओं पर विस्तार से चर्चा की। तृतीय सत्र में श्री राजेश कुमार, एसोसिएट डायरेक्टर डीएनए (डिविजन) एफएसएल राजस्थान जयपुर ने डीएनए की जांच, केस स्टडीज, फिंगर प्रिंट, निदोर्ष व्यक्तियों को डीएनए आदि में दोषी ठहराने से बचाव पर अपना व्याख्यान दिया।

चतुर्थ दिन के प्रथम सत्र में श्री सुनील पूनिया, पुलिस निरीक्षक (सेवानिवृत्त) ने प्रबंधन स्वागत कक्ष (रिसेप्शन रूम) पी.एस. पर विस्तार से चर्चा की। द्वितीय सत्र में श्री रमेश कुमार, पीओ, आरपीए ने साक्ष्य संग्रह और कानून में नये संशोधनों के महत्वपूर्ण केसेस के बारे में बताया। तृतीय सत्र में श्री नंद कुमार कटेवा, प्रोग्रामर, आरपीए ने सीसीटीएनएस और आईसीजेएस पर विस्तार से चर्चा की।

पंचम दिन के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री निशीथ दीक्षित, अधिवक्ता, ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000/2008 और केस कानूनों सहित साइबर अपराधों से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की। तृतीय सत्र में श्री मनोज रमन, जूनियर साइबर फोरेंसिक सलाहकार, सीसीपीडब्ल्यूसी, आरपीए ने डिजिटल साक्ष्य, फाइलें, हैश वैल्यू, फर्स्ट रिस्पॉन्डर, आईपी एड्रेस, ईमेल एनालिसिस, एफबी पर ब्लॉकिंग, सर्विस प्रोवाइडर्स, राइट ब्लॉकर्स पर विस्तार से चर्चा की। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र में श्री विद्याप्रकाश, सहायक निदेशक (आउटडोर–II) द्वारा कोर्स पर चर्चा के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। समापन सत्र के अन्त में धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पश्चात कोर्स विधिवत सम्पन्न हुआ।